अमेरिकी टैरिफ पर भारत का जवाब : जयशंकर

- विदेश मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिकी चिंता को टाला
- 500 फीसदी टैरिफ विधेयक पर भारत चिंतित

नई दिल्ली, 3 जुलाई. रूसी तेल के आयात पर अमेरिका के प्रस्तावित 500 फीसदी टैरिफ पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत इस मुद्दे पर तभी कोई ठोस कदम उठाएगा, जब स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने इसे पुल को पार करने जैसा बताया, जिसका अर्थ है कि भारत अभी इंतजार कर रहा है.

जयशंकर इन दिनों अमेरिका के चार दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने साफ किया कि भारत ने अमेरिका के उस सांसद के सामने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500फीसदी शुल्क लगाने वाला विधेयक पेश किया है. वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, ऐसे घटनाक्रम, जो भारत के हित में हों या उस पर प्रभाव डाल सकते हों, हम उन्हें बेहद करीब से ट्रैक करते हैं.उन्होंने बताया कि भारत सरकार और भारतीय दूतावास अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के संपर्क में हैं. ग्राहम वही सीनेटर हैं, जिन्होंने यह सख्त विधेयक पेश किया है. विधेयक पेश करते समय उन्होंने विशेष रूप से भारत और चीन का नाम लेते हुए आरोप लगाया था कि ये देश मिलकर पुतिन का 70फीसदी तेल खरीद रहे हैं. जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और हितों को ग्राहम के साथ स्पष्ट रूप से साझा किया है. अब यह देखना होगा कि यह बिल कितना आगे बढ़ता है. जब समय आएगा, तो हम उस पुल को पार करेंगे.

इस विधेयक को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी हासिल है. यह विधेयक उन देशों पर 500 फीसदी आयात शुल्क लगाने की मांग करता है, जो अब भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं.

> विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत के लिए दबाव बनाना चाहता है. अगर यह विधेयक पास हो जाता है, तो भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. 500फीसदी शुल्क भारतीय व्यापार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा.इस बीच, भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. इस समझौते का उद्देश्य ट्रंप द्वारा अप्रैल में घोषित 26 फीसदी जवाबी टैरिफ से बचना है.

यूपी में रोजगार मिशन को मिली मंजूरी

- हर साल 25-30 हजार विदेश भेजे जाएंगे
- राज्य को मिलेगा खुद का भर्ती एजेंट
- 29 खतरनाक उद्योगों से हटा महिला प्रतिबंध

लखनऊ ,3 जुलाई .उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह मिशन राज्य सरकार को बिना किसी तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भर हुए सीधे रोजगार देने में सक्षम बनाएगा. राजभर ने कहा, इस मिशन के गठन के साथ हमने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है. हमारा लक्ष्य एक साल में 25,000 से 30,000 बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजना और भारत के निजी क्षेत्र में लगभग एक लाख युवाओं को रोजगार देना है.

राजभर ने बताया कि पहले राज्य सरकार को श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था. उन्होंने कहा, अब मिशन के लागू होने के बाद राज्य को अपना स्वयं का भर्ती एजेंट प्राप्त होगा, जिससे हम नर्सिंग, पैरामेडिकल, कुशल श्रम, ड्राइविंग, घरेलू काम और अन्य उच्च मांग वाले क्षेत्रों में श्रमबल की विदेशों में सीधे नियुक्तियों की व्यवस्था कर सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय श्रमबल की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए रोजगार मिशन की स्थापना करना अनिवार्य हो गया था.एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने फैक्ट्री के काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्रम नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी. पहले महिलाओं को खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों में काम करने से रोक दिया गया था.

सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ऐसे चार उद्योगों पर प्रतिबंध हटा दिए थे और नवीनतम कदम महिलाओं के लिए अवसरों का और विस्तार करता है.

19 दिन से फंसा ब्रिटिश एफ-35

मरम्मत न होने पर अब टुकड़ों में ले जाएंगे

14 जून को हुई इमरजेंसी लैंडिंग

तिरुवनंतपुरम,3 जुलाई .केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे ब्रिटिश रॉयल नेवी के एफ-35 फाइटर जेट की 19 दिन बाद भी मरम्मत नहीं हो पाई है. 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से यह फाइटर जेट धूल और पानी के बीच एयरपोर्ट पर खड़ा है. अब ब्रिटिश रॉयल नेवी इस एफ-35 फाइटर जेट को टुकड़ों में ले जाने की तैयारी कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, फाइटर जेट को सैन्य कार्गो विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा.दरअसल, प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा स्न-35क्ष केरल के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर ऑपरेशन कर रहा था, जब खराब मौसम और कम फ्यूल की वजह से फाइटर जेट को इमरजेंसी के हालात में 14 जून को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा था.विमान को केरल में ठीक करने की कई कोशिशों के बावजूद, पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट इंजीनियरिंग खराबी के कारण अभी भी जमीन पर खड़ा है.

सूत्रों ने पुष्टि की है कि विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करने की सभी कोशिशें अब तक असफल रही हैं. ऐसे में विमान को टुकड़ों में ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है. लगातार हो रही देरी के बावजूद, यूनाइटेड किंगडम से कोई भी इंजीनियरिंग टीम अभी तक भारत नहीं पहुंची है. सूत्रों ने बताया कि मरम्मत के लिए तीस इंजीनियरों के एक समूह के तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं.

विमान की वापसी के लिए कोई डेडलाइन न होने के कारण, ब्रिटिश अधिकारी अब विमान को वापस लाने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं. विमान को आंशिक रूप से तोड़ना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के जरिए विमान को वापस ले जाने के सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है.

234 गैरहाजिर बॉण्डधारी चिकित्सक बर्खास्त : डॉ . रावत

देहरादून 03 जुलाई. उत्तराखंड के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश से कम शुल्क में एमबीबीएस की पढ़ाई पूर्ण कर बाण्ड की शर्तों का उल्लंघन कर लम्बे समय से बिना सूचना के गैरहाजिर 234 चिकित्सकों के विरूद्ध बर्खास्तगी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट 234 गैरहाजिर बॉण्डधारी चिकित्सकों के विरूद्ध वसूली के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले इन चिकित्सकों की सूची नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी उपलब्ध कराई जायेगी.मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के साथ हुये अनुबंध के अनुसार इन चिकित्सकों को एमबीबीएस की पढ़ाई पूर्ण होते ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के पर्वतीय जनपदों में तैनाती दी गई थी. जहां पर इनको न्यूनतम पांच वर्षों तक अपनी सेवाएं देना अनिवार्य था.

भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा ठप

सोनप्रयाग से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई

रुद्रप्रयाग,03 जुलाई.उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम यात्रा को फिलहाल अस्थाई रूप से रोक दिया है.

रुद्रप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में भूस्खलन के बाद पहाड़ से मलबा और पत्थर पूरी सड़क पर आ गया.रुद्रप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में भूस्खलन के बाद पहाड़ से मलबा और पत्थर पूरी सड़क पर आ गया.

एहतियातन प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया. तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया, जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं.इसी बीच केदारनाथ धाम से लौट रहे लगभग 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के पास से सुरक्षित रेस्क्यू किया. ये श्रद्धालु रात में अचानक हुए भूस्खलन के कारण रास्ते में फंस गए थे. भूस्खलन सोनप्रयाग के पास हुआ, जो केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक अहम पड़ाव है.एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंधेरे में ही जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

> उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. चमोली पुलिस के अनुसार, बदरीनाथ हाईकोर्ट उमट्टा में बद्रीश होटल के पास भूस्खलन के चलते बंद हो गया. इसी तरह यमुनोत्री हाईवे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां सड़क का हिस्सा भारी बारिश के कारण बह गया.इस मौसम में बिजली और जल आपूर्ति जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं.

आज का इतिहास

- 1776 अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता से घोषणा की.
- 1902 साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान स्वामी विवेकानन्द का निधन.
- 1914 बर्दुन का युद्ध समाप्त.
- 1963 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक पिंगलि वेंकय्या का निधन.
- 1996 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन पुन- चार वर्ष हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित.

लखनऊ में दामाद ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या

लखनऊ 03 जुलाई. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने बुजुर्ग सास ससुर की चाकू मार कर हत्या कर दी. पुलिस उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि गढ़ी कनौरा पुलिस चौकी क्षेत्र में बीती देर रात जगदीप सिंह नामक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बीच अपने ससुर अनंतराम (75) और आशा देवी (73) पर चाकू से हमला कर दिया. शोरगुल सुन कर आस पड़ोस के लोगों ने जगदीप को पकड़ लिया.

इन्दौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

24, महारानी रोड, इंदौर

निविदा

बैंक अधिकारियों कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों का **ग्रुप फैमिली मेडिक्लेम** वर्ष 2025-26 के लिए कराया जाना है। इस हेतु बीमा कम्पनियों से **दिनांक 15.07.2025** को दोपहर 01.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक एजेन्सी अपनी दरें नियत अवधि में प्रस्तुत करें। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बैंक मुख्यालय के स्थापना कक्ष से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार)के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1.	मोतीतबेला शाखा, इन्दौर	मेसर्स रवि ट्रेडर्स, प्रो.: श्री रवि जैसवानी पिता किशोर जैसवानी (ऋणी)	19.04.25 / 01.07.25	सीसी लिमिट यूनीट का समस्त बंधक स्टॉक पता: 101, दर्शनदीप चेम्बर, जवाहर मार्ग, सियागंज, इन्दौर	24,88,975.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई
2.	मोतीतबेला शाखा, इन्दौर	श्री रवि जैसवानी पिता किशोर जैसवानी (ऋणी), श्री नरेश जैसवानी पिता किशोर जैसवानी (सह-ऋणी) एवं श्री जय कुमार पुर्शनानी पिता मोहनदास (जमानतदार)	19.04.25 / 01.07.25	प्लाट नं. 1-बी पर स्थित मकान, पूर्व की ओर, प्राईम पार्क कॉलोनी, लिम्बोदी, इन्दौर (म.प्र.), **चर्तु:सीमा: उत्तर:** अन्य भूमि, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** प्रशांत का मकान नं. 2, **पश्चिम:** इसी प्लाट के शेष भाग पर स्थित राजु दिक्षित का मकान	25,08,012.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 04.07.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया।. है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	23093664	संपत्ति के बदले ऋण	18.06.2025	1,95,133.10/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. शिव नारायण 2. रामानंदी बाई

संपत्ति का पता: प्लॉट संख्या 154 पर सर्वेक्षण रजिस्टर संख्या का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 1472 वर्ग मीटर। फीट, ग्रामः नांदलेटा, तहसीलः पिपलोदा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457331 में स्थित है, और इसकी सीमाः पूर्वः मोहल्ले की सड़क पश्चिमः गोपाल पाटीदार की जमीन, उत्तरः रतनलाल जी प्रजापत का घर, दक्षिणः खुली जमीन

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 04.07.2025
स्थान: रतलाम

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 287/अ.क.री./का.से./2025 — इन्दौर, दिनांक 3/07/2025

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-तराना तहसील-सांवेर जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कॉलोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ. क्र.	कॉलोनाइजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	भूमिस्वामी-1. श्री यशवंत सोनी पिता श्री बाबूभाई सोनी 2. श्री अतुल जाजोदिया पिता श्री अनिल कुमार जाजोदिया तर्फे विकासकर्ता- अग्रवाल रियल सिटी प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव पताः- "अग्रवाल हाउस", 05, यशवंत कालोनी, वाय. एन. रोड, इन्दौर कालोनी का नाम "TIRUPATI DEV LOK"	ग्राम-तराना, तहसील- सांवेर जिला- इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 255/8/2 रकबा 0.689 हे., 257/5/1 रकबा 0.151 हे. में से 0.1458 हे., 257/5/2 रकबा 0.305 हे. में से 0. 2940 हे., 257/2/1 रकबा 0.5300 हे. में से 0.5130 हे., 256/2/2/2 रकबा 0.0460 हे. 257/6/1 रकबा 0.275 हे., 257/6/2 रकबा 0.0400 हे., 256/2/2/3 रकबा 0.0470 हे., 257/2/3 रकबा 0.530 हे. में से 0.5149 हे. कुल किता 09 कुल रकबा 2.613 हेक्टेयर में से 2.565 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी 7 आई जीआर 17532025 ए100497803 इंदौर दिनांक 19. 06.2025 से भूखण्ड क्रमांक एसआर-5, 6 से 32 तक, 73 से 82, 92, 135, 136, 152 से 163 तक प्रकार कुल 53 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 3758 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 53 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखंडो का कय, विक्रय आगामी आदेश तक नही किया जावेगा। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

अपर कलेक्टर, कॉलोनी सेल शाखा, जिला - इंदौर

कब्जा नोटिस

जबकि, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर ब्याज भी अदा करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	45539420004290 & 45539430001765	1) श्रीमती सोनल सेन, पत्नी। सोनू सेन, 2) श्री रामप्रसाद सेन, इसलिए। बद्रीलाल सेन	17.04.2025, रु. 14,70,816.74 (चौदह लाख सत्तर हजार आठ सौ सोलह और चौहत्तर पैसे मात्र) 11.04.2025 तक	दिनांकः 01.07.2025 समयः दोपहर 12.30 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर 406, चौथी मंजिल पर स्थित वह संपूर्ण आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें 340.60 वर्ग फीट का कारपेट एरिया और 28.75 वर्ग फीट का बालकनी एरिया शामिल है, इस प्रकार कुल निर्मित क्षेत्रफल 403.55 वर्ग फीट (37.50 वर्ग मीटर) है, जो सर्वे नंबर 281/1 की भूमि पर निर्मित बहुमंजिला इमारत में है, जिसका क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर है, जो ग्राम पालदा, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है। चारों ओर से घिरा हुआः पूर्व मेंः फ्लैट नंबर 405, पश्चिम मेंः फ्लैट नंबर 407, उत्तर मेंः लॉबी और दक्षिण मेंः एमओएस।			
2	30789440000449	1) श्रीमती सरोज, पत्नी संजय धसड़ (प्रॉप. मेसर्स दुर्गा साड़ी सेंटर), 2) श्री संजय, पुत्र निवृत्ति धसड़	23.04.2025, रु.12,31,908.00 (बारह लाख इकतीस हजार नौ सौ आठ रुपये मात्र) 11.04.2025 तक	दिनांकः 01.07.2025 समयः 01.20 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 22 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (92.93 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, जो नगर पालिक निगम इंदौर, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) की सीमा के भीतर महावर नगर में स्थित है। चारों ओरः पूर्व मेंः सड़क, पश्चिम मेंः श्रीमती मंजू चौधरी का मकान, उत्तर मेंः श्री गंगाराम शकुंतला गावड़े का मकान तथा दक्षिण मेंः श्री हरीश जी बिंदोरिया का मकान।			
3	45529630000725 & 45529630000040	1) श्रीमती सायरा बी, पत्नी आसिफ, 2) श्री आसिफ, पुत्र अब्दुल मजीद	16.04.2025, रु. 4,12,727.90 (चार लाख बारह हजार सात सौ सत्ताईस और नब्बे पैसे मात्र) 11.04.2025 तक	दिनांकः 01.07.2025 समयः 01.50 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः नगर निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.) की सीमा के भीतर, दौलत गंज में स्थित, नगरपालिका भवन क्रमांक 57/2 के पश्चिमी भाग वाली भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 128 वर्ग फीट (11.89 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। सीमाः पूर्व सेः उसी घर का बचा हुआ हिस्सा, पश्चिम सेः आरिफ अंसारी का घर, उत्तर सेः सड़क और दक्षिण सेः पिछली लाइन।			
4	32760430000317	1) श्री ईश्वर, पुत्र बद्रीलाल, 2) श्रीमती रवीना, पत्नी ईश्वर, 3) श्री बद्रीलाल, पत्नी गोपाल	24.04.2025, रु.3,14,934.02 (तीन लाख चौदह हजार नौ सौ चौंतीस और दो पैसे मात्र) 20.04.2025 तक	दिनांकः 02.07.2025 समयः 02.30 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः प्लॉट/मकान नंबर 38 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट (139.35 वर्ग मीटर) है, साथ ही उस पर निर्माण, पी.एच. नं.62, सर्वे नं. 172, ग्राम पंचायत कोठड़ी, तहसील बड़नगर और जिला उज्जैन (म.प्र.) की सीमा के भीतर, गांव कोठड़ी में स्थित है। सीमाः पूर्व में सड़क, पश्चिम में सड़क, उत्तर में भगवान का घर और दक्षिण में मोतीराम का घर।			
5	45579420000869 & 45579410000971	1) श्री गोपाल सिंह, पुत्र प्रेम सिंह, 2) श्रीमती राजू बाई, पत्नी प्रेम सिंह	24.04.2025, रु. 9,73,221.00 (रुपये नौ लाख तिहत्तर हजार दो सौ इक्कीस मात्र) 20.04.2025 तक	दिनांकः 02.07.2025 समयः 04.30 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः प्लॉट/मकान नंबर 164 वाली जमीन का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1512 वर्ग फीट (140.52 वर्ग मीटर) है, उस पर निर्माण सहित, खसरा नंबर 226, पी.एच. नंबर 71 का हिस्सा, ग्राम कढाई में, ग्राम पंचायत कढाई, तहसील बड़नगर और जिला उज्जैन (म.प्र.) की सीमा के भीतर स्थित है। चारों ओरः पूर्व मेंः स्व. का घर, पश्चिम मेंः मदन शर्मा का घर, उत्तर मेंः नागजी का घर और दक्षिण मेंः सी.सी. रोड।			

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटर/बंधककताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 04.07.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं.10/1, 11/2 और 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.306-ए, पीयू 4, स्कीम नं.54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

MICRO & SMALL ENTERPRISES FACILITATION COUNCIL,C.G.
(Estd. Under MSMED Act 2006)
Directorate of Industries, Chhattisgarh
Udyog Bhawan, Ring Road, No. 1, Telebandha, Raipur (C.G.)

Application No.- CG/05/M/CGH/00379/ Raipur, Dated-

:: NOTICE ::

Supplier/Applicant :-
M/s. Avinash Ispat Private Limited,
Plot No. 200 A, Urla Industrial Area,
Raipur (C.G.) 492003

-V/s-

Buyer/Non-Applicant :-
M/s. Samarth Enterprises,
1090, Sector-A, Sudamanagar,
Annapurna Road, Indore (MP) 452009

The applicant has supplied/provided material/services to Non-applicant whereas Non-applicant has not paid the balance amount of Rs. 4,67,242/-. The applicant has submitted application/reference under section 18(1) of the MSMED Act, 2006 before Micro and Small Enterprises Facilitation Council, Chhattisgarh. The Case is fixed for **11-07-2025 at 11:00 am, Directorate of Industries, Udyog Bhawan, Ring Road No. 01, Telibandha, Raipur (C.G.)** for hearing. The Non-applicant is hereby intimated to appear on said date for hearing along with neccesarry documents/reply. If Non-applicant fails to appear before council on said date for hearing, the council may pass ex-parte award/order for which the Non-applicant would be responsible himself.

Assist. Director of Industries, MSEFC

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी (निशा डामर), इंदौर

(अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी - 07)

क्रमांक/229/अकरी/5/2025 — प्रकरण क्रमांक /008/बी-121/24-25
इंदौर, दिनांक 01/07/2025

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1-श्री संजय चौधरानी पिता श्री कुंदनलाल चौधरानी, 2-श्रीमती आंचल चौधरानी पति श्री संजय चौधरानी, दोनों का पताः-1-मकान नंबर 14, राहुल नगर, बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.), **अन्य पताः**- फ्लेट नंबर 206, दूसरी मंजिल युक्ति वैली, प्लाट नंबर डी-10, श्री जी वैली, ग्राम बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.)

---00---

द्वाराः- पेपर प्रकाशन

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, **यस बैंक लिमिटेड, वार्ड नंबर 08, आरएम टावर, नगर निगम नंबर 269, गौराकुंज चौराहा, महात्मा गांधी रोड, राजबाड़ा के पास, इंदौर (म0प्र0) 452001** द्वारा निवेदन किया कि बंधक **संपत्ति फ्लेट नंबर 206, द्वितीय तल, युक्ति वैली, प्लाट नंबर डी-10, श्री जी वैली, ग्राम बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.) के सभी हिस्से पर स्थित कुल सुपर बिल्टअप एरिया 533 वर्गफीट, सम्पत्ति के दस्तावेजः- श्री महेश सेन पिता श्री मोतीराम सेन तर्फे विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम सम्पत्ति की चतुसीमा- पूर्व में ओपन डक्ट, पश्चिम मेंः- कॉरिडोर उत्तर मेंः- कॉरिडोर, दक्षिण में :- प्रकोष्ठ क्रमांक 223** पर बकाया ऋण राशि 09,88,647.08/- (अक्षरी नौ लाख, इट्यासी हजार, छः सौ सैतालीस रुपये एवं आठ पैसे) का चुकारा आपके व्दारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु **न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी-07 में दिनांक 11/07/2025 दोपहर 04:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी (निशा डामर), इंदौर

(अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी - 07)

क्रमांक/230/अकरी/5/2025 — प्रकरण क्रमांक /0020/बी-121/24-25
इंदौर, दिनांक 01/07/2025

पेपर विज्ञप्ति

1- श्री संजय कुमार गजभिये पिता श्री राम प्रसाद गजभिये,
2. श्रीमती प्रियंका गजभिये पति संजय कुमार गजभिये
दोनों का पता-फ्लैट नंबर 201, प्लॉट ए-I, श्रीजी वैली, बिचौली मर्दाना, जिला इंदौर (म.प्र.)

---00---

द्वाराः- पेपर प्रकाशन

प्रार्थी **प्राधिकृत अधिकारी, यस बैंक लिमिटेड, वार्ड नंबर 08, आरएम टावर, नगर निगम नंबर 269, गौराकुंड चौराहा, महात्मा गांधी रोड, राजबाड़ा के पास, इंदौर (म0प्र0) 452001** द्वारा निवेदन किया कि बंधक **संपत्ति फ्लैट नंबर 201, प्लाट द्वितीय तल, द गार्डन व्यू, प्लाट नं. ए-I, श्रीजी घाटी, बिचौली मर्दाना, जिला इंदौर (म.प्र.) पर स्थित के सभी हिस्सों पर कुल क्षेत्रफल- 935 वर्गफीट, (86.89 वर्गमीटर) सम्पत्ति के दस्तावेज :- श्री संजय कुमार गजभिये पिता श्री राम प्रसाद गजभिये एवं श्रीमती प्रियंका गजभिये पति संजय कुमार गजभिये सम्पत्ति की चर्तुसीमा- पूर्व में - कॉलोनी की सड़क, पश्चिम में - कॉमन पैसेज व प्रकोष्ठ क्रमांक 207 उत्तर में - भूखण्ड क्रमांक ए-3, दक्षिण में - प्रकोष्ठ क्रमांक 202** पर बकाया ऋण राशि 24,92,918/- (चौबीस लाख, बयानवें हजार, नौ सौ अठारह रूपये मात्र) का चुकारा आपके व्दारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु **न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष जी-07 में दिनांक 11/07/2025 दोपहर 04:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला इंदौर